उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 /2016/17(120)XXVII(8)/2014

देहरादून :: दिनांक :: 02 मार्च, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की धारा 9 सपिटत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 वर्ष 1904), (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के अन्य नियमों के यथोचित परिवर्तन सहित लागू होने के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड उपकर नियम, 2016

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपकर नियम, 2016 है। 1. संक्षिप्त नाम एव (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें। प्रारम्भ

परिभाषाएँ

- इस नियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (1) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 अभिप्रेत है,
 - (2) ''प्ररूप'' से इन नियमों के संलग्न ''प्ररूप''अभिप्रेत है,
 - (3) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त अन्य सभी शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं।

अध्याय-दो

विवरणी प्रस्तूत करना

विवरणी प्रस्तृत करना (Submission Returns)

आवश्यक कार्यवाही करें

(1) प्रत्येक ब्यौहारी, जो उपकर के भुगतान के लिए दायी है, अपने आवर्त की मासिक विवरणी प्ररूप–उपकर एक में कर निर्धारक प्राधिकारी को अगले उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करेगा;

परन्तु यह कि कर निर्धारक प्राधिकारी समुचित कारणों से जो

उल्लिखित किए जाय, ऐसी विवरणी को दाखिल करने का समय बढ़ा सकेगा।

- (2) यथा विहित मासिक विवरणी के अतिरिक्त प्रत्येक ब्यौहारी, उपनियम (1) में अपने आवर्त की वार्षिक विवरणी भी प्ररूप—उपकर—दो में अनुवर्ती कर निर्धारण वर्ष में 31 दिसम्बर को या इससे पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (3) इस नियम के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व ब्यौहारी विवरणी में दर्शाए गए विक्रय के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन देय कुल उपकर इन नियमों में अधिकथित रीति से जमा करेगा और विवरणी के साथ इस प्रकार जमा की गई धनराशि के सम्बन्ध में ई—पेमेन्ट या अन्यथा के द्वारा भुगतान किए गए उपकर का साक्ष्य कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (4) उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005, की धारा 23 के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक ब्यौहारी जो किसी उपकर अवधि के लिए संशोधित विवरणी दाखिल करने के लिए दायी है, संशोधित विवरणी लाल स्याही से सम्यक रूप से "........................ को समाप्त होने वाले माह के लिए संशोधित विवरणी" अंकित करते हुए (आवश्यक तारीख का उल्लेख करते हुए) और इस नियम के अधीन विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित संशोधित विवरणी, सम्बन्धित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित समय के तीन माह के भीतर दाखिल की जाएगी।
- (5) प्रत्येक ब्यौहारी, मुख्य कारबार स्थल के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में उत्तराखण्ड में अपनी सभी शाखाओं के आवर्त को सम्मिलित करेगा।
- (6) इन नियमों के अधीन प्रत्येक विवरणी को पंजीयन आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाएगा।



अध्याय-तीन

उपकर की प्राप्तियों को जमा किया जाना

उपकर की प्राप्तियों को अ जमा किया जाना

- (1) उपकर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक ब्यौहारी, देय उपकर की धनराशि को उसी रीति से जैसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन देय है, ई—भुगतान या अन्यथा प्रत्येक उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख से पूर्व ऐसे लेखाशीर्षक के अधीन जैसा विहित किया जाय, कोषागार में जमा करेगा;
- (2) उपकर की प्राप्तियों को, जैसा कि उपनियम (1) के अधीन जमा किया जाना अपेक्षित है, सर्वप्रथम राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा तथा राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में सम्यक् विनियोजन के उपरान्त जैसा विधि द्वारा किए गए हों, राज्य की संचित निधि से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वसूले गए उपकर की प्राप्तियों के बराबर समस्त धनराशि आहरित करेगी और ऐसी समस्त धनराशि को धारा 3 की उपधारा (4) में यथा परिभाषित पृथक से सृजित निधियों में स्थापित करेगी।
- (3) ऐसी अलग से सृजित निधियों के लिए जमा राशि उत्तराखण्ड राज्य सरकार की संचित निधि पर प्रभारित व्यय होंगी।
- (4) निधियों में इस प्रकार प्राप्त धनराशि का उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित निधियों हेतु लागू किये जाने के लिये तैयार दिशा निर्देशों द्वारा निर्णित किया गया हो।

w

(अमित सिंह नेगी) सचिव। सं0 | 9 | / 2016 / 17 (120) / XXVII (8) / 2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर

अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन०आई०सी०

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनुसचिव।

प्ररूप उपकर-एक ''सावधिक विवरणी''

मूल	संशोधित	(जो भी लागू हो)
01. ब्यौहारी का टिन		
02. कार्यालय का नाम तथा	·	
खण्ड/रेंज का कोड		
03. विवरणी की अवधि	दिनांक से दिन	तक तक
04. कर निर्धारण वर्ष		
05. ब्योहारी का नाम तथा पता	नाम	पता

"आवर्त तथा उपकर की घोषणा"

क्र0	माल का नाम	मूल विक्रय मूल्य/इकाई	उपकर	निवल देय
सं0		(जिस पर उपकर प्रभारणीय है)	की दर	उपकर
(i)			@	
(ii)			@	
(iii)			@	
			@	
06. योग				



''उपकर तथा अन्य देयकों का भुगतान''

क्र0	लेखा शीर्ष	ई–चालान की	ई–चालान	बैंक का नाम	बैंक का	जमा
सं0		पहचान संख्या	की तारीख	तथा पता	MICR कोड	उपकर
		(CIN)				(420)
(i)						
(ii)						
		- (
०७.या	। जमा उपकर	र (कुल i + ii +)			,	
(i)						
08. ज	मा किया गय	विलम्ब शुल्क (कु	ल i +)			
(i)						
(ii)						
09. ড	ामा किया गय	ा ब्याज एवं अन्य दे	यक (कुल i+	ii +)		
(i)						
(ii)						
10. स	ाकल योग (07	7 + 08 + 09)				
	शे शब्दों में					
			घोषण	П		
में			पुत्र/पुत्री श्री			इस विवरप
		के लिए प्राधिकृत हूँ				
		गई सूचनाएँ और वि				
		ा कथन किया गया		, n	ς,	Ü
				वेकत हस्ताक्षरक	र्ता का हस्ताक्षर	
					र्ता का नाम	
					हस्ताक्षरकर्ता की प्र	
			दिन	ाक		

DT:/Cess Rule Hin & Eng (23-01-2016)

प्ररूप उपकर-दो ''वार्षिक विवरणी''

मूल	संशोधित	(🗸 जो भी लागू हो)
01. ब्यौहारी का टिन		
02. कार्यालय का नाम तथा खण्ड		
/रंज का कोड		
03. विवरणी की अवधि	दिनांक से दिन	ांक तक
04. कर निर्धारण वर्ष		
05. ब्यौहारी का नाम तथा पता	नाम	पता

''स्वतः अन्तिम कर निर्धारण के अन्तर्गत आगणित देय उपकर की धनराशि''

क्र0 सं0	माल का नाम	अनुसूची संख्या	अनुसूची में प्रविष्टि संख्या	मूल विक्रय मूल्य / इकाई (जिस पर उपकर	उपकर की दर	निवल देय उपकर	टिप्पणी
				प्रभारणीय है)			
(i)					@		
(ii)					@		
(iii)					@		
					@		
06. 3	योग						

07	सावधिक विवरणियों के अनुसार जमा उपकर	
80	अन्तरीय उपकर की धनराशि (06 – 07)	
09	अधिक जमा उपकर की दावाकृत प्रतिपूर्ति की राशि (07 – 06)	

''अन्तरीय उपकर, ब्याज, विलम्ब शुल्क तथा अन्य देयकों का भुगतान''

क्र0 सं0	लेखा शीर्ष	ई—चालान की पहचान संख्या (CIN)	ई-चालान की तारीख	बैंक का नाम तथा पता	बैंक का MICR कोड	जमा उपकर (रू०)
(i)						
(ii)						
0. यो	ग जमा उपकर	(कुल i + ii +)				
(i)	(विलम्ब शुल्क)					
1. जम	। 11 किया गया वि	ालम्ब शुल्क (कुल i	+)			
		3 (3				
(i)						
(ii)						
. जम	िकिया गरा। ह्य	ाज एवं अन्य देयक				
		ाण ९५ अन्य ६४क	(कुल i + ii +	.)		
(i)						
(i) (ii)						
	ल योग (10 +	11 + 12)				
राशि	शब्दों में					
			घोषणा			
		นร	ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ			
	तर करने के ति	तेए प्राधिकृत हूँ 3	गेर में एतदद्वाः भीर में एतदद्वाः	रा घोषित एवं	सत्यापित करता	
हस्ताक	m n +	ਸ਼ੁਰੂਜ਼ਾਹ ਕੀਤ ਕਿਥਾ	ियाँ गाम	÷ — (4)·		इस विवरा ८कारी हैं (
विवरप है औ	गा न दा गई र उन्हासन्दर्भ	पूजार जार विशि	ाष्ट्रया सत्य एव	र पूण ह तथा	जानबूझकर न त	इस विवर /करती हूँ f गे कुछ छिपा
विवरप है औ	र न गलत कः	थन किया गया है।	, , , , , , , ,	र्न ह तथा	णानबूझकर न त	॥ कुछ ।छपा
विवरप है औ	र न गलत कः	थन किया गया है।	प्राधिकृत	हस्ताक्षरकर्ता	का हस्ताक्षर	
हस्ताक्ष विवरप है औ	र न गलत कः	थुन किया गया है।	प्राधिकृत प्राधिकृत	हस्ताक्षरकर्ता इस्ताक्षरकर्ता	का हस्ताक्षर का नामका	१। कुछ ।छपा
हस्ताक्ष विवरण है औ	र न गलत कः	थन किया गया है।	प्राधिकृत प्राधिकृत	हस्ताक्षरकर्ता इस्ताक्षरकर्ता	का हस्ताक्षर	१। कुछ ।छपा
विवरप् है औ	रा म दा गई र र न गलत कः	थन किया गया है।	प्राधिकृत प्राधिकृत पिता का	हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षरकर्ता नाम	का हस्ताक्षर का नामका	१। कुछ ।छपा

1

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 191 /2016 /17(120)/XXVII(8)/2014 dated 22 March, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand

Vitta Anubhag-8

No. | 9 1 /2016/17(120)/XXVII(8)/2014

Dehradun:: Dated:: 2 March, 2016

Notification

In exercise of the powers conferred by section 9 of the Uttarakhand Cess Act, 2015 read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no.1 of 1904)(as applicable in Uttarakhand), and without any adverse affect to mutatis-mutandis applicability of other Rules of Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005, the Governor is pleased to make the following rules to carry out the purposes of the said Act.

Uttarakhand Cess Rules, 2016

Chapter-I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1.

- (1) These rules may be called the Uttarakhand Cess Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

- 2. In these rules, unless the context otherwise requires-
 - (a) "Act" means the Uttarakhand Cess Act, 2015.
 - (b) "Form" means the Forms annexed to these Rules.
 - (c) All other words and expressions used in these Rules but not defined in the Act or these Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

Chapter-II

SUBMISSION OF RETURNS

Submission of Returns

(1) Every dealer liable to pay cess, shall submit to the Assessing Authority a monthly return of his turnover in Form-CESS-I,



3.

before the expiry of the next succeeding month.

Provided that the Assessing Authority may, for adequate reasons to be recorded in writing, extend the time for filing such return.

- (2) In addition to the monthly return as prescribed in sub-rule (1), every dealer shall also submit to the Assessing Authority, an annual return of his turnover in Form-CESS-II, on or before December 31 in the succeeding assessment year.
- (3) Before submitting the return under this Rule the dealer shall, in the manner laid down in these rules, deposit the total Cess due under the Act on the turnover of sales disclosed in the return and shall submit to the Assessing Authority, along with the return, the proof of payment of Cess by e-payment or otherwise for the amount so deposited.
- (4) Every dealer liable to file a revised return for any CESS period under the provisions of section 23 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, shall submit within three months of the time prescribed for submitting the respective return, the revised return duly marked with red ink as "Revised Return for the month ending ------"(mentioning the necessary date) and duly signed by the person authorized under this Rule to sign the return.
- (5) Every dealer shall include the turnover of all branches of business in Uttarakhand in the return submitted for the principal place of business.
- (6) Every return under these rules shall be signed and verified by the person authorized to sign the application for registration or in his absence by some person duly authorized by him in this behalf.

Chapter-III

DEPOSITING OF THE PROCEEDS OF THE CESS

Depositing of the Proceeds of the Cess (1) Every dealer, liable to pay cess, shall deposit the amount of cess due into the Government Treasury, in the same manner as an amount due under the Uttarakhand VAT Act, 2005, by e-payment or otherwise, on or before 20th day of every succeeding



month, under such head of account as may be prescribed.

- (2) The proceeds of the cess, as required to be deposited under sub-rule (1), shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation as has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State and all amounts equivalent to the proceeds of cess realized by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of separately created funds as defined in subsection (4) of Section 3 respectively.
- (3) The credits for such separately created Funds shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of the State Government of Uttarakhand.
- (4) The amount so received in the Funds shall be utilized in such manner as the State Government may decide by formulating guidelines for application of respective Funds.

~

(Amit Singh Negi) Secretary

FORM CESS-I PERIODICAL RETURN

ORIGINAL

REVISED

(tick⊠whichever is applicable)

01. TIN of the dealer		
02. Office Name and Code of Sector/Range		
03. Period of Return	From	То
04. Assessment Year		
05. Name & Address of dealer	NAME	ADDRESS

"DECLARATION OF TURNOVER AND CESS"

Sl. No.	Name of Commodity	Basic Sale Value/ Unit (on which CESS is chargeable)	CESS Rate	"NET CESS PAYABLE"
(i)			@	
(ii)			@	
(iii)			@	
			@	
06.	TOTAL			



"PAYMENT OF CESS & OTHER DUES"

Sr. No.	A/c Head	CIN No.	CIN Date	Bank's Name & Address	MICR Code of Bank	CESS Deposited (Rs.)
ii						
07.	CESS Deposited			TOTAL (i+ii+)		
i	(L.Fee)					
08.	Late Fee Deposited	TOTAL				
i						
ii						
09. 1	NTEREST & OTHE	R DUES DEPO	SITED	TOTAL (i+ii+	-)	
TOT	TAL AMOUNT DEPO	OSITED (07+08	8+09)			
(In w	ords)					
		<u>De</u>	claratio	<u>n</u>		
•••••		S/	o			
m au nd na	thorized to sign this	return and I do	hereby o	declare and verify	that, the	information
mitte	articulars given in the door wrongly stated attached.	ed and that	all the	omplete and noth	ing has been es and ch	allans are
		Sign. of A	uth. Sign	atory		
				natory		
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
				a. Signatory		

N

FORM CESS-II

ANNUAL RETURN

ORIGINAL

REVISED

(tick whichever is applicable)

01. TIN of the dealer		
02. Office Code of Sector/Range	NAME OF OFFICE	CODE
03. Period of Return	FROM	ТО
04. Assessment Year		
05. Name & Address of dealer	NAME	ADDRESS

COMPUTATION OF OWN FINAL ASSESSMENT OF AMOUNT OF CESS DUE

Sl. No.	Name of Commodities	Sch. No.	Sl. No. in Sch.	Basic Sale Value/ Unit (on which CESS is chargeable)	Rate of CESS	NET CESS	Remark
i.							
ii.							
iii.							
06.	Total (i+ii+)			*	

07.	CESS deposited as per Periodical Returns	
08.	Differential CESS [06-07]	
09.	Refund Claimed of Net CESS in excess [07-06]	



PAYMENT OF DIFFERENTIAL CESS, INTEREST, LATE FEES AND OTHER DUES

Sr.	A/c Head	CIN No.	CIN	Bank's	MICR Code	CESS
No.			Date	Name	of	Deposited
				&Address	Bank	(Rs.)
i						
ii						
10. (CESS Deposited		Т	OTAL (i+ii+)	
i	(L.Fee)					
11. L	ate Fee Deposited	TOTAL (i	+)			
i						
ii						
12. IN	TEREST & OTHE	R DUES DEP	OSITED	TOTAL (i+ii	+)	
(In wo			<u> </u>		a de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co	
			Declarati	<u>on</u>		
m aut	horized to sign this	return and I	do hereby	declare and	verify that, the	e information
mitted	rticulars given in the distribution of the dis	ted and that	true and all the	required and	nothing has be nexures and	een willful challans a
		Sign. of Autl	h. Signato	ry		
	/					